डॉ0 पी0एल0 पुनिया, मा0 अध्यक्ष, राश्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार की अध्यक्षता में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेष एवं प्रदेष के उच्चाधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक दिनॉक 09–9–2015 का कार्यवृत्त

सर्वप्रथम मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेष षासन द्वारा मा0 अध्यक्ष एवं मा0 सदस्यगण राश्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार का स्वागत किया गया एवं मा0 आयोग को आष्वासन दिया गया कि मा0 आयोग द्वारा जो सुझाव एवं निर्देष दिये जायेंगे उन पर प्रभावी कार्यवाही एवं अनुश्रवण सुनिष्चित किया जायेगा।

मा0 अध्यक्ष, राश्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रदेष सरकार द्वारा प्रदेष में तथा प्रदेष के बाहर अध्ययन करने वाले छात्रों के लिये पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्राप्त होने वाली पूर्वदषम छात्रवृत्ति एवं दषमोत्तर छात्रवृत्ति एवं षुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आन–लाईन प्रणाली के सुचारू रूप एवं सफलतापूर्वक संचालित किये जाने के लिये प्रषंसा की गयी।

माननीय आयोग द्वारा षिक्षा में एससी के षार्ट फॉल एवं बीपीएल परिवारों में एससी बीपीएल परिवार ज्यादा हैं, पर चिंता व्यक्त की गई।

मा0 अध्यक्ष, आयोग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत आयोग के कार्य एवं उददेष्य को स्पश्ट करते हुये अवगत कराया गया कि एससीएसपी में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कल्याणार्थ चलाएं जाने वाली योजनाओं के स्थान पर ज्यादातर सामान्य योजनाओं पर खर्च किया जा रहा हैं। इसकी समीक्षा आयोग द्वारा की जाती है तथा जहॉ कमियॉ पायी जाती हैं उनमें सुधार के लिये राज्य सरकार को सुझाव दिये जाते हैं।

प्रदेष तथा प्रदेष के बाहर अध्ययनरत अनुसूचित जाति के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति एवं षुल्क प्रतिपूर्ति एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उत्पींड़न की दषा में एफ0आई0आर0 दर्ज करके प्रकरण पर प्रभावी कार्यवाही किया जाना संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नैतिक जिम्मेदारी है तथा इसका निर्वहन किया जाना चाहिये।

अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्वदषम छात्रवृत्ति एवं दषमोत्तर छात्रवृत्ति एवं षुल्क प्रतिपूर्ति।

मा0 आयोग द्वारा अवगत कराया गया कि विगत 03 वर्शो में प्रदेष के बाहर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति के काफी बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जिनको दषमोत्तर छात्रवृत्ति एवं षुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण उनकी षिक्षा प्रभावित हो रही है। अतः यह सुनिष्चित किया जाना चाहिये कि षिक्षण षुल्क के रूप में जो धनराषि जमा की जानी है उसका व्ययभार छात्र पर नहीं पड़ना चाहिये बल्कि व्ययभार राज्य सरकार एवं षिक्षण संस्थान के मध्य होना चाहिये। आयोग के संज्ञान में ऐसे कई मामले आये हैं जिनमें षिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रों से टयूषन फीस ली जा रही है जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को जीरो बेस फीस पर एडमीषन दिया जाना चाहिये। वर्श 2011–2012 से लेकर वर्श 2014–15 के मध्य आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या के अनुरूप विभिन्न षिक्षण संस्थानों में प्रवेष लेने वाले की संख्या में निरन्तर गिरावट आ रही है इसको स्पश्ट करने के लिये छात्रवृत्ति एवं षुल्क प्रतिपूर्ति के डाटा का आन स्क्रीन पावर प्रजन्टषेन किया गया तथा अवगत कराया गया कि आन लाईन आवेदन करने वाले में से काफी बड़ी संख्या में ऐसे छात्र होते हैं जो फर्जी तरीके से आवेदन करते हैं, जिनके आवेदन पत्र 26 बिन्दुओं पर स्कूटनी होने पर सस्पेक्टेड डाटा में आ जाते हैं

जिसके कारण आवेदन करने वाले छात्रों एवं प्रवेष लेने वाले छात्रों की संख्या में गैप उत्पन्न हो जाता है।

प्रमुख सचिव, समाज कल्याण द्वारा अवगत कराया गया कि छात्रवृत्ति एवं दषमोत्तर छात्रवृत्ति की धनराषि भारत सरकार से निर्धारित समय में नहीं प्राप्त हो पाती है। यह भी अवगत कराया गया कि छात्रों की सुविधा के लिये उनको उनके आवेदन पत्रों की स्थिति के संबंध में 04 बार एस0एम0एस0 किया जाता है।

<u>अनुसूचित जाति सब प्लान</u>

मा0 आयोग द्वारा निर्देष दिये गये कि अनुसूचित जाति सब प्लान हेतु जो धनराषि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी जाती है उसका व्यय उपभोग अनुसूचित जाति सब प्लान हेतु संचालित योजनाओं के अन्तर्गत किया जाना चाहिये न कि अन्य योजनाओं में। अनुसूचित जाति सब प्लान अन्तर्गत वर्श 2013–14 में मात्र 0.35 प्रतिषत ही धनराषि व्यय की गयी है। इस धनराषि को अनुसूचित जाति के लिये छोटे–छोटे व्यवसाय, छात्राओं हेतु छात्रावासों तथा कस्तूरबा गांधी महाविद्यालय के पैर्टन पर व्यय किया जा सकता है। अतः अनुसूचित जाति सब प्लान पर राज्य सरकार द्वारा सुधार आवष्यक है।

<u>अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास</u>

मा0 आयोग द्वारा अवगत कराया गया कि पूरे प्रदेष में कुल 252 एससी के छात्रावास हैं, जिनमें मात्र 87 गर्ल्स छात्रावास हैं। इन छात्रावासों में 10,000 से ज्यादा छात्र कवर नहीं होते हैं। अतः बालिका छात्रावासों हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही साथ प्रदेष के जनपदीय भ्रमण पर पाया गया कि अनुसूचित जाति हेतु जो छात्रावास

संचालित हैं उनकी स्थिति संतोशजनक नहीं है उनके कक्षों के दरवाजें खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। सुरक्षा के उपाय भी संतोशजनक नहीं है। बाथरूम एवं लेट्रिन की साफ–सफाई नहीं है। सभी छात्रावासों का रख–रखाव ठींक किया जाय छात्राओं के छात्रावास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय। यह आवष्यक है कि छात्रावासो की वर्तमान स्थिति पर एक पूर्ण अध्ययन कर आगे की सुधार की रणनीति तैयार की जाय।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का उत्पीड़न

मा0 आयोग के संज्ञान में ऐसे कई मामले आये हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के उत्पीड़न की दषा में उत्पीड़ित व्यक्ति के पुलिस थानों में जाने पर उसकी एफ0आई0आर0 लिखी नहीं जाती है। कई मामलों में तो मा0 न्यायालय के आदेष के बाद एफ0आई0आर0 दर्ज की जाती है, जिसमें उत्पीड़ित व्यक्ति तथा उसके परिवार को काफी परेषान होना पड़ता है यह स्थिति कतई ठींक नहीं है। इस संबंध में मा0 सर्वोत्तम न्यायालय द्वारा धारा 156 (3) के अन्तर्गत स्पष्ट निर्देष दिये गये हैं कि उत्पीड़न की दषा में पीड़ित व्यक्ति की एफ0आई0आर0 अवष्य दर्ज की जाय। यदि कोई व्यक्ति फर्जी एफ0आई0आर0 दर्ज कराता है तो फर्जी एफ0आई0आर0 दर्ज कराने वाले व्यक्ति के विरूद्ध जांच करके कार्यवाही की जा सकती है, परन्तु एफ0आई0आर0 अवष्य दर्ज की जाय इस संबंध में षासन स्तर से निर्देष समस्त पुलिस अधिकारियों को प्रसारित किये जायें।

मा0 आयोग द्वारा निर्देष दिये गये कि अनुसूचित जाति की महिला का उत्पीड़न रोकने के लिये प्रत्येक जनपद में महिला थाना एवं प्रत्येक थाने में महिला पुलिस की तैनाती की जाय। प्रत्येक थाने पर पर एससी का एसएचओ नियुक्त किया जाएं तथा सीसीटीवी लगाएं जाएं। उत्पीड़न

संबंधी प्रकरणों की षासन स्तर तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा समिति गठित करते हुये पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा अवष्य की जानी चाहिये। प्रत्येक थाने में अनुसूचित जाति के व्यक्ति को तैनात किया जाय। पुलिस अधिकारी अपने–अपने कार्यालयों में पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 12.00 बजे तक उपस्थित रह कर स्वयं उत्पीड़ित व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलें तथा संबंधित प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही करना सुनिष्चित करेंगे। इस संबंध में षासन स्तर से निर्देष जारी किये जाने आवष्यक हैं।

माननीय आयोग ने यह अवगत कराया कि 3 जून, 2011 के बाद से राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक नहीं हुई। हर छः माह में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक की जानी चाहिए। जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों की संख्या में कमी पर भी आयोग ने चिंता व्यक्त की और जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा हर तिमाही पर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक करने की अपेक्षा की।

माननीय आयोग द्वारा उत्तर प्रदेष जमींदारी विनाष एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 157 क में भूमि अंतरण के संबंध में मामूली षर्तों के साथ इसे समाप्त कर दिया गया हैं। माननीय आयोग ने इस पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा की हैं।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमि विहीन न किया जाय इसके लिये केन्द्र सरकार द्वारा एक्ट बनाकर प्राविधान किया जायेगा जो प्रकियाधीन है।

<u>आरक्षण नीति</u>

अनुसूचित जाति के कार्मिकों को वर्श 1997 से पदानवत किये जाने की नीति प्रदेष स्तर पर लागू की गयी है। इसमें इन्द्रा साहनी के

वाद को संज्ञान में लिया गया है। मा0 आयोग की अपेक्षा है कि षासन स्तर पर उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित करते हुये एम0 नागराजन के वाद का संज्ञान में लेते हुये 03 बिन्दुओं पर भली–भॉंति अध्ययन एवं परीक्षण करके आरक्षण नीति के विशय में समिति रिर्पोट षीघ्रातिषीघ्र प्रस्तुत करेंगी।

मुख्य सचिव, उ0प्र0 षासन द्वारा मा0 राश्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को आष्वासन दिया गया कि मा0 आयोग द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के हितार्थ षिक्षा, पूर्व दषम छात्रवृत्ति एवं दषमोत्तर छात्रवृत्ति एवं षुल्क प्रतिपूर्ति, छात्रावासों का सुधार, आरक्षण नीति एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का उत्पीड़न रोकने के लिये जो भी निर्देष दिये गये हैं उनके अनुपालन हेतु प्रभावी कार्यवाही एवं अनुश्रवण किया जायेगा।

अन्त में मुख्य सचिव, उ0प्र0 षासन द्वारा मा0 अध्यक्ष एवं मा0 सदस्यगण, राश्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुये बैठक समाप्त की गयी।